



HRC m KJ43 The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 111---खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2008/श्रावण 29, 1930 No. 140] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2008/SRAVANA 29, 1930

भारतीय दंत परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

संख्या डीई-54-2007.- दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का XVIवां) की घारा (1) तथा खंड 20 की घारा (2) की उपघारा (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दत्य परिषद राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्न दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी विनियम, 2008 बनाती है।

 (i) लघु शीर्षक और प्रवर्तन.- (i) इन विनियमों को भारतीय दंत्य परिषद दंत्य स्वाख्थ्य-विज्ञानी पाठ्यक्रम विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

दत्य स्वास्थ्य वैझानिकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाए रखने के वास्ते विनियम

दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी पाठ्यक्रम विनियम-

''दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी'' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जोकि कोई दंतचिकित्सक अथवा चिकित्सा व्यावसायिक नहीं है, जो दांतों का पर्पटीकरण, सफाई अथवा पालिश करता है अथवा द्रंत्य स्वास्थ्य-विज्ञान की बाबत अनुदेश देता है। वह पंजीकृत दंत्य सर्जन की देखुरेख में काम करेगा

दत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी की अर्हता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को विनियमित और मानकीकृत करने के उद्देश्य से यह निर्धारित किया जाता है कि-

- दत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी डिप्लोमा किसी मान्यताप्राप्त दत्व कालेज अथवा ऐसे दत्य कालेज द्वारा शुरू किया जा सकता है जिसे अधिक से अधिक 20 सीटों सहित बीडीएस पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के बाद से केन्द्रीय सरकार से अनुमति मिली हो।
- दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी का पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थानों को संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा भारतीय दंत्य परिषद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- अध्ययन का पाठ्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों तक चलेगा और उसके पूरा करने पर दत्य स्वाख्थ्य-विज्ञानी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।
- 4. संस्थानों द्वारा दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानियों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी।
- 5. पूरे भारतवर्ष में दत्य शिक्षा में इस पाठ्यक्रम में एकरूपता बनाए रखने के प्रयोजन से यह जरूरी है कि े सभी संस्थानों में शिक्षण का पाठ्यक्रम मानकीकृत किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए:
 - (i) अभ्यर्थी को दाखिले के समय अथवा उसके तीन महीने के भीतर 17 वर्ष की आयु का होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए।

3145 GI/2008

[PART III-SEC. 4]

- (ii) अभ्यर्थी ने किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय अथवा प्री-यूनिवर्सिटी/इंटरमीडिएट बोर्ड से विज्ञान विषयों (अर्थात) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान सहित 10+ 2 अथवा दो वर्ष की इंटरमीडिएट अथवा उसके समतुत्य परीक्षा पास कर रखी हो।
- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और डिप्लोमा परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा विनियम और प्रत्येक विषय में पढाई जाने वाली पाठ्यचर्या तैयार और संलग्न की गई है।

दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के वास्ते न्यूनतम अपेक्षाएं:

निम्न विषयों पर खर्च किए जाने वालें न्यूनतम घंटे नीचे बताए अनुसार होंगेः

	विषय	लेक्चर	प्रायोगिक/निदर्शन/ नैदानिक	योग
प्राथमिक				
(1)	शरीररचनाविज्ञान, सामान्य तथा दंत्य	50	100	150
(2)	शरीरक्रियाविज्ञान तथा उत्तक विज्ञान सामन्य और दंत्य	20	40	60
(3)	फार्माकोलाजी सामान्य और दंत्य	15	10	25
(4)	विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्मजीव विज्ञान	30	70	100
(5)	दत्य विकिरण चिकित्सा विज्ञान	10	40	50
(6)	खाद्य तथा पोषण	25	30	55
(7)	दत्य स्वास्थ्य-विज्ञान तथा मुखीय रोगनिरोघ	50	280	330
(8)	कंप्यूटरों का आधारिक ज्ञान	20	50	70
			योग	840
अंतिम				
(1)	दत्य स्वास्थ्य विज्ञान तथा मुखीय रोगनिरोध	25	350	375
(2)	(i) दत्य स्वास्थ्य शिक्षा (ii) सामुदायिक जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा (iii) निवारक दंत	50	200	250
	चिकित्सा			
(3)	दत्त्व नैतिकशास्त्र तथा न्यायशास्त्र; दंत चिकित्सा में दिशा~ अनुकूलन	15		15
(4)	दंत्य सामग्री	10	10	20
·····			योग	660

पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों में कक्षाएं एकांततः इस पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जानी चाहिए।

 किसी भी समय क्लीनिकों में कार्यरत प्रत्येक 10 छात्रों के लिए कम से कम एक अनुदेशक होना चाहिए।

4. दंत्य विषयों को पढ़ाने के लिए मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हताओं से युक्त व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नैदानिक तथा प्रायोगिक निदर्शनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हताओं के घारक व्यक्ति पात्र होंगे।

5. इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के पास निम्न न्यूनतम अपेक्षाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए:

- एक ऊतक विकृति वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जिसमें निदर्शन प्रयोजनों के लिए दाखिला क्षमता से आधे छात्रों के लिए यथा-अपेक्षित संख्या में माइक्रोस्कोप उपलब्ध होने चाहिए।
- (ii) कम से कम दो क्लासरूम अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों--दोनों के लिए एक-एक क्लासरूम जिसमें से एक क्लासरूम में एलसीडी प्रोजेकटर तथा ओएचपी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए।

,

I.

1.

2.

- (iii) विशिष्ट/विषय-वार प्रयोगशालाएं जिससे कि कक्षा के प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित समुचित सुविधाएं सुलम हो सकें।
- (iv) एक दंत्य स्वाख्थ्य-विज्ञानी क्लीनिक जिसमें एक दंत्य कुर्सी, अल्ट्रासोनिक स्केलर सहित एक दंत्य यूनिट तथा प्रत्येक छात्र के लिए अलग से हस्त औजारों का एक-एक सेट तथा प्रत्येक 5 छात्रों के लिए निर्जीवाणकरण के वास्ते एक आटोक्लेव अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।
- (v) छात्रों के लिए एक पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए।

6. अध्यापन स्टाफः बीडीएस और एमडीएस स्टाफ की जरूरत के अलावा एकांतिक अध्यापन स्टाफ निम्नानुसार होगाः

- (क) रीडर-एमडींएस (आर्थोडौंटिक्स) एक
- (ख) लेक्चरर एमडीएस (पेरियोडौंटिक्स) एक
- (ग) ट्यूटर दंत्य स्वाख्थ्य-विज्ञानी एक
- (घ) दत्य संस्थान के पाठ्यक्रम की जरूरत के अनुसार अन्य स्टाफ

टिप्पणीः दत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला विभागः दत्य विभागों तथा दत्य कालेजों के दत्य अध्यापकों को पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी पाठ्यक्रम के अध्यापन का कार्य पेरियोडौंटिक्स विभाग को सौंपा जाए ।

II. परीक्षाएं

 दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी का डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी की अर्हता के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे तथा भारतीय दंत्य परिषद द्वारा अनुमोदित तीन परीक्षकों के बोर्ड द्वारा, जिनमें से एक परीक्षक बाह्य (संस्थान के बाहर के) परीक्षक होंगे, एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

टिप्पणीः दत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी परीक्षाओं के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं/पात्रता

- (क) परीक्षा बोर्ड के तीन परीक्षकों में से एक बाहरी और एक मीतरी सदस्य परीक्षक पिरियोडेन्टिस (एमडीएस) मे और तीसरा परीक्षक पाठ्यक्रम पदाने से जुड़ा हुआ ट्यूटर (दत्य स्वास्थ्य-विझानी) हो सकता है।
- (ख) चिकित्सीय विषयों को पढ़ाने वाले चिकित्सीय व्यक्तियों को चिकित्सीय विषयों के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है भले ही वे दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 के-अधीन पंजीकृत न हों।
- (ग) उसे, संबंधित पाठ्यक्रम का अथवा किसी मान्यताप्राप्त दंत्य/चिकित्सक संस्थान में संबंधित विषय/विषयों का एक सक्रिय अध्यापक होना चाहिए।

2. परीक्षाएं वर्ष में दो बार, यथानिर्धारित तारीखें को आयोजित की जाएंगी। परीक्षा दो भागों में होगी; (1) प्राथमिक और (2) अंतिम डिप्लोमा परीक्षा।

प्राथिमक परीक्षा (पहला वर्ष)

परीक्षा में ऐसा कोई भी छात्र भाग ले सकेगा जो;

- परीक्षा से पूर्व एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान भारतीय दत्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित/मान्यताप्रदत्त किसी संस्थान में दाखिल रहा हो।
- (ii) कम से कम दो क्लासरूम अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों--दोनों के लिए एक-एक क्लासरूम जिसमें से एक क्लासरूम में एलसीडी प्रोजेक्टर तथा ओएचपी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए।
- (iii) जिसका नाम, उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा जिसमें वह दाखिल है, परीक्षकों के बोर्ड को मेजा गया हो।
- (iv) जो संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगाः
 - i. उत्तम चरित्र
 - ii. दिए गए लेक्चरों के पूरी श्रृंखला तथा परीक्षा के प्रत्येक विषय में आयोजित प्रयोगों/नैदानिक निदर्शनों में कम से कम 75% में उपस्थित रहा/रही हो।

4. प्रत्येक अभ्यर्थी, परीक्षा निकाय द्वारा निर्घारित तारीख तक निर्घारित फीस सहित अपना आवेदन-पत्र उस निकाय को प्रस्तुत करेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में पास होने अथवा उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, वह फीस की वापसी का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

5. प्रत्येक अम्यर्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों से युक्त निम्न विषयों में परीक्षा में बैठना होगाः

प्रश्न-पत्र I शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा ऊतक विज्ञान

प्रश्न-पत्र II फार्माकोलाजी, विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्मजीवविज्ञान

प्रश्न-पत्र III खाद्य पोषण और विकिरण चिकित्सा विज्ञान

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अंक निम्नानुसार होंगेः

लिखित 75

मौखिक 25

प्रायोगिक	
योग	

योग <u>200</u> प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा।

100

6. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के सभी विषयों में बैठना जरूरी है। इस परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में फेल होने वाले किसी अभ्यर्थी को परवर्ती परीक्षा में पुनः बैठने के अनुमति दिए जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसने संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में माग लिया है।

परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में पास होने वाले अम्यर्थी को उस प्रश्न-पत्र में, जिसमें वह पास हो गया है, बैठने से छूट दी जाएगी तथा उसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी परवर्ती परीक्षा में बाकी बचे उन्हीं प्रश्न-पत्रों में पुनः बैठना होगा जिनमें वह फेल हो गया/गई है। दो वर्षों के बाद अभ्यर्थी को इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना होगा।

7. पास होने के लिए अभ्यर्थी को (i) मौखिक सहित लिखित तथा (ii) परीक्षा के प्रायोगिक भागों--दोनों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

परीक्षा के अधीन किसी भी प्रश्न-पत्र में कम से कम पिछत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा पहले ही प्रयास में सभी तीनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थियों को उस/उन विशेष विषय/विषयों में डिस्टिक्शन सहित पास घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले ही प्रयास में सभी प्रश्न-पत्रों में पास नहीं हो पाते और बाद में डिस्टिंक्शन अंकों के साथ पास होता/होती है, उसे पास तो घोषित किया जाएगा किंतु डिस्टिंक्शन के बिना घोषित किया जाएगा।

8. परीक्षकों का बोर्ड परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र पास होने वाले अम्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित करेगा। प्रत्येक सफल अम्यर्थी को एक प्राथिमक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

अंतिम डिप्लोमा परीक्षा

(घ)

9. इस परीक्षा में ऐसा कोई भी अभ्यर्थी बैठने का पात्र होगा जो

- (क) परीक्षा से पूर्व प्राथमिक शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय देत्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्थान में दाखिल रहा हो।
- (ख) जिसने पूर्व में दत्य खास्थ्य-विज्ञानी के डिप्लोमा के लिए प्राथमिक परीक्षा पास की हो।
- (ग) जिसने उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा जिसमें वह दाखिल रहा/रही है अपना नाम परीक्षकों के बोर्ड को मिजवाया हो।
 - जो संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगाः
 - i. उत्तम चरित्र
 - दिए गए लेक्चरों की पूरी श्रृंखला तथा परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में आयोजित प्रयोगों/निदर्शनों/निदानों में कम से कम पिछत्तर प्रतिशत में उपस्थित रहा/रही हो।
 - iii. सभी प्रश्न-पत्रों में प्राथमिक परीक्षा पास की हो।
 - iv. प्राथमिक और अंतिम डिप्लोमा परीक्षा के बीच दो शैक्षणिक वर्षों से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

10. प्रत्येक अभ्यर्थी, परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित तारीख तक निर्धारित फीस सहित अपना आवेदन-पत्र उस निकाय को प्रस्तुत करेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में पास होने अथवा उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, वह फीस की वापसी का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों से युक्त निम्न विषयों में परीक्षा में बैठना होगाः

प्रश्न-पत्र | दत्य स्वाख्थ्य-विज्ञान तथा मुखीय रोगनिरोध

प्रश्न-पत्र II दंत्य स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक/जन स्वास्थ्य दंतचिकित्सा, निवारक दंत चिकित्सा प्रश्न-पत्र III दंत्य सामग्री, दंत्य नीतिशास्त्र तथा न्यायशास्त्र, दंतचिकितसा में दिशा-अनुकूलन

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अंक निम्नानुसार होंगेः

लिखित	75
मौखिक	25
प्रायोगिक	100
योग	200

प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा।

-12. प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना होगा। इस परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में फेल होने वाले किसी अभ्यर्थी को परवर्ती परीक्षा में पुनः बैठने के अनुमति दिए जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसने संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।

परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में पास होने वाले अस्यर्थी को उस प्रश्न-पत्र में, जिसमें वह पास हो गया है, बैठने से छूट दी जाएगी तथा उसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी परवर्ती परीक्षा में बाकी बचे उन्हीं प्रश्न-पत्रों में पुनः बैउना होगा जिनमें वह फेल हो गया/गई है। दो वर्षों के बाद अभ्यर्थी को इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना होगा।_

भारत का राजपत्र : असाधारण

5

13. पास होने के लिए अभ्यर्थी को (i) मौखिक सहित लिखित तथा (ii) परीक्षा के प्रायोगिक मागो—दोनों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के अधीन किसी भी प्रश्न-पत्र में कम से कम पिछत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा पहले ही प्रयास में सभी तीनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थियों को उस/उन विशेष विषय/विषयों में डिस्टिंक्शन सहित पास घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी एक ही बार में अंतिम परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में पास नहीं हो पाते और बाद में डिस्टिंक्शन अंकों के साथ पास होता है, उसे डिस्टिंक्शन सहित पास नहीं घोषित किया जाएगा।

14. पंजीकृत कराने के हेतू कालेज आथॉरिटी को परेकिटकल परीक्षा की तिथि के साथ अतिम परीक्षा के दोरान दो महीने पहले भारतीय दंत परिषद में आवेदन में आवेदन करना होगा

15. परीक्षकों का बोर्ड परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र पास होने वाले अम्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित करेगा। प्रत्येक सफल अम्यर्थी को अंतिम परीक्षा के बाद एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

III. दत्य स्वास्थय-विज्ञानी पाठ्यक्रम प्राथमिक (पहला वर्ष के लिए पाठ्यक्रम)

(1) शरीररचनाविज्ञान, सामान्य और दंत्य.

लेक्चर

श्लेष्मल कला (जिहवा, ग्रसनी, होठ), अस्थियों, मांसपेशियों, रक्त कोशिकाओं, लसीकाओं, ग्रंथियों तथा तंत्रिकाओं की सामान्य संरचना सामान्यतः आनन के तथा विशेष रूप से दांतों और संबद्ध संरचनाओं के संदर्भ में रुधिर और तंत्रिका आपूर्ति

मसड़ों और दांतों के विकास का प्रारंभिक ज्ञान

मानवीय दांतों की संरचना, नामकरण तथा आकारिकी

दांतों का उदभवन, पनःशोषण तथा अंतर्रोध

निवेशी ऊतकों के साथ दांतों का संबंध

चवर्ण तथा आनन् अभिव्यक्ति की मांसपेशियां

शंखाघोहन् उच्चारण

Vवीं और VIIवीं कपाल तंत्रिकाओं का मार्ग और विभाजन

प्रायोगिक

सामान्यतः शीर्ष और ग्रीवा का और ज़बाड़े सहित

आनन का विशेष रूप से अस्थिप्रकरण

दांतों की आकारिकी

जबड़े की हड़िड़यों की दंतउलूखल प्रक्रिया

दांत का तत्स्थानी परिच्छेद

(2) शरीरक्रियाविज्ञान तथा ऊतक विज्ञान, सामान्य और दंत्य

लेक्चर

मानवशरीर की कोशिका संरचना

ऊतक विज्ञान तथा विभिन्न दत्य और मुखीय ऊतकों जैसेकि मसूझ, पेरियोडौंटल कला, दंतउलूखल प्रक्रिया, सीमेंटम, इनेमल, डेंटाइन, नैसमिध्य कला, मज्जा आदि के कार्यों का संक्षिप्त विवरण। लाला ग्रंथियां, वाहिनियां तथा उनके कार्य

लाला की रचना और कार्य

रुधिर : रचना और कार्य

चवर्ण, निगलन और ध्वनि उच्चारण

मानवशरीर की शरीरक्रियावैज्ञानिक प्रक्रियाओं की, विशेष रूप से परिसंचरण प्रक्रिया की सामान्य रूपरेखा

प्रायोगिक

मुखीय तथा दंत्य ऊतकों की तैयार की गई ऊतक वैज्ञानिक स्लाइडों, दांत के परिच्छेदों का अध्ययन। नेमी रुधिर जांच।

(3) फार्माकोलाजी, सामान्य तथा दंत्य

लेक्चर

दंत चिकित्सा में आमतौर पर प्रयुक्त औषधियों (निस्तेजक, स्तंमक, मुखवावक, ऐंटीसेप्टिक) का संक्षिप्त विवरण, नामकरण, व्युत्पत्ति, खुराक, फार्माकोलाजीकल कार्य तथा उपचर्यात्मक प्रयोग।

प्रायोगिक

गमपेंट मखधावक और मंजन तैयार करना।

(4) विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्मजीवविज्ञान, सामान्य और दंत्य

लेक्चर

विकृतिविज्ञान के सामान्य सिद्धांत

शोथ, व्यपजनन तथा मरम्मत

दांत और निकटवर्ती उत्तकों के संदर्भ में विकृतिविज्ञान के सामान्य सिद्धांत लागूकरना दंत्य असंगतियां

3145 GI/08-2

घर्षण, अपघर्षण तथा अपरदन

मधुमेह, सिफिलिस, अरक्तता, विटामिन की कमियों जैसे प्रणालीगत रोगों तथा एड्स और हेपाटाइटिस बी जैसे संक्रामक रोगों की मुखीय अभिव्यक्ति

दंत्य आपरेट्री में संक्रमण नियंत्रण तथा जैव-चिकित्सीय

अपशिष्ट प्रबंध तथा संभाल

मुखीय गुहा के संदर्भ में अर्बुद

जीवणुविज्ञान, अपूति, संक्रमण, प्रतिरक्षा का प्रारंभिक ज्ञान

दंत्य यक्ष्मा के विकृति विज्ञान और जीवाणुविज्ञान तथा मसूडे के संक्रमणों का संक्षिप्त विवरण

प्रायोगिक

मुखीय और दंत्य स्थितियों के संबंध में तैयार की गई विकृतिवैज्ञानिक तथा जीवाणु वैज्ञानिक स्लाइडों का अध्ययन

प्रणालीगत विकृतियों की मुख्रीय तथा दंत्य अभिव्यक्ति का नैदानिक निदर्शन

(5) दंत्य विकिरण चिकित्सा

लेक्चर

एक्स-रे मशीन, इसके घटकों और रखरखाव सहित दंत्य विकिरण चिकित्सा के मूल तथा प्रारंभिक सिद्धांत

रेडियो विजियो ग्रैपी तकनीक तथा पैनोरैमिक (आर्थो पैंटोग्राप्स तथा सिफैलोस्टेट्स) सहित बहिमुखीय रेडियोग्राफों का बुनियादी ज्ञान

स्वचालित फिल्म प्रोसेसिंग

आईओपीए फिल्मों की सूची और सूचक बनाना

अंतर्रोघ, बाइटविंग तथा डिजिटल रेडियोग्राफी का ज्ञान

दंत्य रेडियोग्राफों के तकनीकी पक्ष अर्थात दंत्य रेडियोग्राफ लेना, प्रोसेस करना और आरोहण स्वीकार्य छवि की विशेषताएं, तैयार रेडियोग्राफों को प्रभावित करने वाले तत्व, विकिरण सुरक्षा के नियम, विकिरण जोखिम

प्रायोगिक

अंतरा तथा बहिमुखीय रेडियोग्राफ लेना, प्रोसेस करना और आरोहण।

(6) खाद्य तथा पोषण

लेक्चर तथा प्रायोगिक

सामान्य और मुखीय स्वास्थ्य के संदर्भ में मूल 'खाद्य रसायनशास्त्र'

दत्य रोगों के निवारण में आहार की भौतिक प्रकृति

दंत्य तथा मुखीय स्वास्थ्य के संदर्भ में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ तथा जल वैयक्तिक आहार का आकलन तथा चार्ट बनाना और परामर्श

मुखीय स्वास्थ्य पर कुपोषण का प्रभाव

मैक्सिलोफेशियल क्षति के मामलों में विशेष आहार तथा इसे खिलाना

(7) दंत्य स्वास्थ्य विज्ञान तथा मुखीय रोगनिरोध (प्राथमिक और अंतिम)

लेक्चर

स्वास्थ्य विज्ञान की परिमाषा

दंत्य स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य

मुखीय रोगनिरोध-विभिन्न तरीके

मुखीय रोगनिरोध-उपचार प्रणाली

दांतों पर धब्बे-बहिरस्थ, अंतःस्थ तथा उनकी देखभाल

दंत्य चकत्ता

ब्रश करने और फ्लासिंग तकनीक

दंत्य अश्मरी

अल्ट्रासोनिक स्केलिंग का तकनीकी ज्ञान

मसूडोशोध, पेरियोडौँटाइटिस तथा कोष्ठिक फोड़े का संक्षिप्त वर्णन तथा उसमें मुखीय रोगनिरोध की भूमिका

नैदानिक

मुखीय रोगनिरोध के औजार, तकनीक

दांतों के धबे हटाना और पालिश करना

फ्लुराइडों का स्थानीय प्रयोग

मुखीय गुहा की देखभाल तथा मैक्सिलोफेशियल मामलों के उपचार के दौरान उपकरण दंत्य स्वास्थ्य-विज्ञानी पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष के लिए पाठ्यचर्या

(1) दंत्य स्वास्थः विज्ञान तथा मुखीय रोगनिरोध

उपर्युत पैरा 7 में संयुक्त पाठ्यक्रम (जैसाकि उपूर्यक्त प्रथम वर्ष (आथमिक) में वर्णित है)।

]

(2) दंत्य स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा तथा निवारक दंत चिकित्सा

लेक्चर

स्वास्थ्य और दंत्य स्वास्थ्य की परिभाषा

दंत्य स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य

दंत्य स्वास्थ्य और बच्चे

निवारक कार्यक्रम, रोगी परामर्श में उपाय

दंत्य स्वास्थ्य शिक्षा - माता-पिता, माताएं (प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर) शिशु पूर्व-स्कूल

बच्चे और बड़े विकलांग बच्चे

दंत्य यक्ष्मा-व्याप्ति और निवारण

फ्लूराइडेशन द्वारा निवारण

पेरियोडौंटल रोग

दत्य स्वाख्थ्य और रोग के संदर्भ में लाला

खाने की आदतें और दंत्य स्वास्थ्य

आदतें तथा कु-अंतर्रोघ

मुखीय कैंसर

जन स्वाख्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामुदायिक स्वाख्य के संदर्भ में दंतचिकित्सा और जन स्वाख्य सेवाओं, दंत्य स्वाख्य दल का इतिहास

ख्थानिक फ्लूराइड प्रयोग का तकनीकी ज्ञान

प्रायोगिक

जबड़ों और दांतों के माडल तैयार करना - सामान्य तथा विकृतिवैज्ञानिक दंत्य स्थितियां दंत्य खास्थ्य शिक्षा पर पोस्टर तैयार करना, रेखित करना तथा चित्रांकित करना दंत्य तथा मुखीय स्वास्थ्य पर संक्षिप्त वार्ताएं, प्रहसन तथा रूपकों की व्यवस्था करने की क्रियाविधियां। किसी क्षेत्र का संक्षिप्त सर्वेक्षण करके मुखीय स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का संग्रह करना

(3) दत्य नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा दंत चिकित्सा में दिशा-अनुकूलन

लेक्चर और प्रायोगिक

नीतिशास्त्र तथा विधि में अंतर, विधि की कोटियां

दंत्य व्यवसाय के संबंध में विधिक प्रमाव, नीति संहिता

दंतचिकित्सा का गैर-लाइसेंसी व्यवसाय

विनियामक और व्यावसायिक संगठन

समाज में दत्य व्यवसाय का स्थान और कार्य तथा तत्संबंधी आर्थिक समस्याओं पर चर्चा

लोगों की दंत्य उन्नति, आय और जीवन स्तर में सामाजिक तत्व

दंत चिकित्सा का लक्ष्य तथा कार्यक्षेत्र

दंत्य विशेषज्ञताएं

(4) कंप्यूटरों का बुनियादी ज्ञान

लेक्चर और प्रायोगिक

दंतचिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों जैसेकि छाप सामग्री, जिप्सम उत्पादों, मोमों, निवेशी सामग्री तथा विभिन्न मराव सामग्रियों, ख्यायी और अख्यायी सीमेंद, आर्थोर्डौटिक सामग्री तथा रोपण सामग्री, मैक्सिलोफोंशियल तथा शल्यक्रियात्मक कृत्रिम अंग में प्रयुक्त सामग्री का सामान्य ज्ञान

दंत्य स्थापना में प्रयुक्त विभिन्न दंत्य उपकरणों तथा भंडारों की मान्यता और ज्ञान

दंत्य भंडारों का आयोजन, भंडारण और लेखांकन, दंत्य मदों की संमाल और रखरखाव, दंत्य उपकरणों का सज्जीकरण तथा लघु मरम्मत।

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/98/2008]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एन. अवस्थी, सचिव

DENTALCOUNCILOFINDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

No.DE-54-2007.- In exercise of powers conferred by clause (1) and sub-clause (g) and (h) of clause (2) of section 20 of the Dentists Act, 1948 (XVI of 1948), the Dental Council of India, after consultations with the State Governments and with the previous approval of the Central Government hereby make the following Dental Hygienists Course Regulations, 2008.

(i) Short title and commencement.- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Dental Hygienists Course Regulations, 2008.

(ii). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. REGULATIONS FOR THE MAINTENANCE OF MINIMUM EDUCATIONAL STANDARD FOR DENTAL HYGIENISTS:

Dental Hygienists Course Regulations:

"Dental Hygienist" means a person, not being a Dentist or a Medical Practitioner, who scales, cleans or polishes teeth, or gives instructions in dental hygiene. He shall work under the supervision of the Registered Dental Surgeon.

In order to regularize and standardize the conferment of the qualification for Dental Hygienists, it is prescribed that:-

1.

4.

5.

б.

I.

1.

8

- The Dental Hygienists Diploma Course can be started by a recognized Dental College or a Dental College, which got the permission from the Central Government for 3rd year BDS Course onwards with maximum of 20 seats.
- 2. The Institutions wishing to start courses for Dental Hygienists should obtain essentiality certificate from the concerned state govt. and obtain prior approval of the Dental Council of India.
- 3. The course of studies should extend over a period of two academic years and lead to the qualification of Dental Hygienist Diploma.
 - A separate course shall be arranged for the training of Dental Hygienists by the Institutions.
 - For the purpose of establishment of uniformity in Dental Education in this course throughout India, it is necessary that the course of instructions to be pursued in all the institutions should be standardized. To achieve this:-
 - (i) a candidate should be at least 17 years of age at the time of admission or within 3 months of it and should be medically fit to pursue the course.
 - (ii) The candidate must have passed 10+2 or two years intermediate or equivalent course thereof with Science subjects (i.e.) Physics, Chemistry and Biology from a recognized Indian University or Pre-University/Intermediate Board.

The medium of instruction shall be in English and the course of studies and regulations for the Diploma Examinations and the syllabus to be followed in each subject has been drawn up and appended.

MINIMUM REQUIREMENTS FOR INSTITUTIONS IMPARTING TRAINING FOR DENTAL HYGIENISTS:

The minimum hours devoted to the under mentioned subjects shall be as follows:

	Subject -	Lectures	Practicals/ Demonstrations/ Clinical	<u>Total</u>
<u>Primary</u>				
(1)	Anatomy, General and Dental.	50	100	150
(2)	Physiology & Histology, General and Dental	20	40 -	60-
(3)	Pharmacology General & Dental	15	10	25
(4)	Pathology & Microbiology	30	70	100
(5)	Dental Radiology.	10	40	50
(6)	Food and Nutrition	25	30	55
(7)	Dental Hygiene and Oral Prophylaxis	50	280	330

[भाग 10-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

 (8)	Basic knowledge of Computers	20	50	70
		<u></u>	Total	840

	Subject	Lectures	Practicals/ Demonstrations/ Clinical	Total
Final				
(1)	Dental Hygiene and Oral Prophylaxis.	25	350	375
(2)	 (i) Dental Health Education; (ii) Community Public Health Dentistry, (iii) Preventive Dentistry 	50	200	250
(3)	Dental Ethics and Jurisprudence; Orientation in Dentistry.	15		15
(4)	Dental Materials	10	10	20
		1	Total	.660

2. The classes in different subjects of the curriculum should be taught exclusively for this course.

3. There should be atleast one Instructor for every 10 students working in the clinics at any given time.

4. For the teaching of dental subjects no persons except those holding recognized dental qualifications shall be employed as Instructors. For Clinical and Practical/Demonstrations persons holding recognized dental Hygiene Qualification shall be eligible.

5. The institutions imparting training in this course must possess of the following minimum requirements:--

- (i) One Histopathological laboratory equipped with as many number of microscopes as is required by half of the admission strength for demonstration purposes.
- (ii) Atleast two class room, i.e. one each for 1st & 2nd year students, one of which must be equipped with a LCD projector and OHP.
- (iii) Specific/subject wise Technical Laboratories so that each student of a class is provided with suitable facilities required for the course.
- (iv) A dental hygienist clinic fitted with one dental chair, one dental unit with ultrasonic scaler and a set of hand instruments separately for each student and atleast one autoclave for every 5 students for sterlisation.

(x) A Library should be available to the students.

6. Teaching Staff: In addition to the requirement of BDS and MDS Staff, exclusive teaching staff will be as under :

(a)	Reader – MDS (Periodontics)	····	One
(b)	Lecturer - MDS (Periodontics)		One
(c)	Tutor Dental Hygienist		One
1 15			

(d) Other Staff – As per requirement of the syllabus from the

dental institution.

Note: Department to teach the Dental Hygienist Course: That in view of the difficulties experienced by the dental departments and dental teachers of dental colleges, the teaching of Dental Hygienist Course be entrusted to the Department of Peri odntics.

II. EXAMINATIONS

1. An Examination for the grant of Diploma of Dental Hygienists shall be conducted by a Board of three Examiners imparting training for qualification of Dental Hygienists Course approved by the Dental Council of India. One of the Examiners must be external (from outside that institution).

Note: Qualifications/eligibility to appointment as Examiners for Dental Hygienist Examinations. a)Out of 3 members of Examining Board, the external and one internal examiner should be a reader in Periodontics (MDS) and third could be tutor (Dental Hygienist Course) involved in teaching of the course.

Bills GI/CB-3

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

b)That medical persons teaching medical subjects may be appointed as Examiners for medical subjects even though they are not registered under the Dentists Act 1948.

c)He should be an active teacher of the concerned course or in the concerned subject/s at a recognized dental/medical Institution.

2. The examination shall be held twice a year, on such dates as may be fixed. The Examination shall consist of two parts; (1) Primary and (2) Final Diploma Examination.

THE PRIMARY EXAMINATION (FIRST YEAR)

- The Examination shall be open to any student who;
- (i) has been enrolled during one academic year preceding the examination in an institution approved/recognized by the Dental Council of India for this purpose.
- (ii) The candidate must have passed 10+2 or two years intermediate or equivalent course thereof with Science subjects (i.e.) Physics, Chemistry and Biology from a recognized Indian University or Pre-University/Intermediate Board.
- (iii) has his/her name, submitted to the Board of Examiners, by the head of the institution in which he/she is enrolled;
- (iv) Produces the following Certificates signed by the Head of the institutions:
 - i. of good character;
 - ii. of having attended not less then 75% of the full course of lectures delivered and practicals/demonstrations clinical conducted in each of the subjects of examinations

4. Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed by that Body, accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall not be entitled to claim a refund of the fee.

5. Every candidate shall be examined in the following subjects comprising of three theory papers as follows:-

Paper I	:	Anatomy, Physiology & Histology	

Paper II : Phramacalogy, Pathology & Microbiology.

Paper III : Food Nutrition & Radiology.

Marks for each of the papers shall be as under:-

Written	75
Oral	25
Practical	100
Total	200

Each written paper shall be of three hours.

6. Every candidate shall be required to take up all subjects of the examination. A candidate failing in any paper or papers of this examination before being permitted to reappear at the subsequent examination shall produce evidence of having pursued such a course of training as the Head of the institution may determine.

A candidate, who passes in any one or more papers of the examination shall be exempted from appearing in which he/she has passed and shall be allowed to re-appear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. After two years the candidate will have to appear in all the papers of this examination.

7. The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty percent in each paper both in the (i) written with oral and (ii) practical parts of the examination.

Candidates who obtain minimum of seventy five percent marks in any paper under examination and passes in all three subjects in first attempt shall be declared to have passed with distinction in a particular subject/s. Candidates who do not pass in all the papers in the first attempt and later passes with distinction marks, shall be declared as passed but without distinction.

8. As soon as possible after the examination the Board of Examiners shall publish a list of the candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a PRIMARY DIPLOMA

THE FINAL DIPLOMA EXAMINATION

- 9. This examination shall be open to any student who
- (a) has been enrolled for primary academic year preceding the examination in an institution approved by the Dental Council of India for the purpose;
- (b) has previously passed the Primary examination for the Diploma of Dental Hygienists:
- (c) has his/her name submitted to the Board of Examiners by Head of the institution in which he/she is enrolled;
- (d) Produces the following certificates signed by the Head of the Institution :

i. of good character;

ii. of having attended not less than seventy-five percent of the full course of lectures delivered and practical/ demonstration/clinical conducted in each of the papers of the examination;

[भाग III — खण्ड 4]

iii. of having passed the Primary Examination in all papers.

iv. There shall not be a gap of more than two academic years between Primary and final diploma exams -

Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed 10. by that Body, accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall not be entitled to claim a refund of the fee.

Every candidate shall be examined in the following subjects comprising of three papers as 11. follows:-

Paper 1

Dental Hygiene & Oral Prophylaxis. Paper II Dental Health Education, Community/Public Health Dentistry, Preventive Dentistry.

Dental Materials, Dental Ethics & Jurisprudence, Orientation in Paper III Dentistry

Marks for each of the papers shall be as under:-

Written	75		
Oral	25		
Practical	100		
Total	200		

Each written paper shall be of three hours.

12. Every candidate shall be required to take up all papers of the examination. A candidate failing in any paper or papers of this examination before being permitted to reappear at the subsequent examination shall produce evidence of having pursued such a course of training as the Head of the institution may determine.

A candidate, who passes in any one or more papers under examination shall be exempted from appearing in which he/she has passed and shall be allowed to re-appear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. After two years the candidate will have to appear in all the papers of this examination.

The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty percent in 13. each paper both in (i) written with oral and (ii) practical parts of the examination. Candidates who obtain minimum of Seventy five percent marks in any paper under examination shall be declared to/have passed with distinction in a particular subject provided he/she passed all subjects of examination in first attempt. Candidates who do not pass in all the papers of the FINAL EXAMINATION at one and the same time shall not be declared to have passed with distinction.

The college authority will apply two months in advance along with practical examination 14. date sheet to the DCI for recognition of the Diploma Course.

15. As soon as possible after the examination, the Board of Examiners shall publish a list of those candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a Diploma subject to the approval by DCI.

III. SYLLABUS FOR THE DENTAL HYGIENISTS COURSE PRIMARY (1st YEAR) (1) ANATOMY, GENERAL AND DENTAL

Lectures

General structure of mucous membrane(tongue, pharynx, lips), bones, muscles, blood vessels, lymphatics, glands & nerves. Blood and nerve supply in relation to face in

general and teeth and associated structures in particular. Elementary knowledge of development of the jaws and teeth.

Structure, nomenclature and morphology of human teeth.

Eruption, resorption & occlusion of teeth.

Relationship of teeth with investing tissues.

Muscles of mastication and facial expression.

Tempromandibular Articulation.

Course and distribution of Vth and VIIth Cranial nerves.

Practical

Osteology of head and neck in general and face, including jaws in particular Morphology of teeth.

Alveolar process of jaw bones.

Section of tooth in situ.

(2) PHYSIOLOGY & HISTOLOGY, GENERAL & DENTAL: Lectures

Cell structure of the human body.

Brief description of the histology and function of various dental and oral tissues e.g. Gingiva, Periodontal membrane, Alveolar process, Cementum; Enamel, Dentine, Nasmyths membrane, Pulp etc.

Salivary glands, ducts and their functions.

Composition and function of Saliva.

Blood : Composition& functions

Mastication, deglutition & Phonation.

General outlines of the physiological processes of the human body-particularly circulatory. Practical

Study of prepared histological slides of oral and dental tissues, sections of a tooth.

Routine blood examination.

(3) PHARMACOLOGY, GENERAL & DENTAL:

Lectures

Brief description, nomenclature, derivation, dosage, pharmacological action and therapeutic uses of drugs commonly used in dentistry(Obtundent, astringent ,mouth wash, antiseptics)

Practical

Preparation of gum paints, mouth washes and dentifrices.

(4) PATHOLOGY & MICROBIOLOGY, GENERAL AND DENTAL:

Lectures

General principles of Pathology -

Inflammation, degeneration and repair.

Application of general principles of pathology to tooth and surrounding tissues.

Dental Anomalies.

Attrition, Abrasion and Erosion.

Oral manifestation of systemic diseases like diabetes, syphilis, anaemia, vitamin deficiencies and infectious diseases like AIDS & Hepatitis B

Infection Control in Dental Operatory and Bio-Medical Waste Management and Handling Neoplasm with reference to oral cavity.

Elementary knowledge of Bacteriology, Asepsis, Infection, Immunity, Brief description of Pathology and Bacteriology of Dental Caries and Gingival infections.

Practical -

Study of prepared pathological and bacteriological slides relating to oral and dental conditions.

Clinical demonstration of oral and dental manifestation of systemic disorders.

(5) DENTAL RADIOLOGY:

Lectures

Fundamental and elementary principle of Dental Radiology including X- Ray machine, its components and maintenance.

Basic knowledge of Radio Visio Grapy technique & extra oral radiographs including Panoramic (Ortho-pantographs and cephalostats).

Automatic Film processing

Cataloging & Indexing of IOPA Films.

Knowledge of occlusal, bitewing and digital radiography

Technical aspects of Dental Radiographs i.e. the taking, processing and mounting of Dental Radiographs.

Characteristics of acceptable image, factors that influence finished radiographs, rules of radiation protection. Radiation Hazards.

Practical

Taking, processing and mounting of Intra & Extra Oral Radiographs.

(6) FOOD AND NUTRITION:

Lectures and Practicals

Basic food chemistry' in relation to general and Oral Health.

Physical nature of diet in prevention of dental diseases.

Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water in relation to dental and oral Health.

General food requirements for growth, maintenance and repair of the body.

Assessment & charting of individual diet & counseling.

Effect of malnutrition on oral health.

Special diet and its administration in maxillofacial injury cases.

(7) DENTAL HYGIENE AND ORAL PROPHYLAXIS (Primary and Final)

Lectures

Definition of Hygiene

Objectives of Dental Hygiene

Oral Prophylaxis - Various methods.

Oral Prophalaxis: treatment system

13

Stains on teeth - extrinsic, intransic and their management.

Dental plaque.

Brushing & Flossing Technique

Dental Calculus

Technical knowledge of ultrasonic scaling

Brief description and the role of Oral Prophylaxis in Gingivitis, Periodontitis, Periodontal and Alveolar abscess.

Clinical

Instruments, technique of Oral Prophylaxis

Destaining and polishing of teeth.

Topical application of fluorides.

Care of oral cavity and appliances during treatment of maxillofacial cases.

SYLLABUS FOR THE DENTAL HYGIENISTS COURSE FINAL(II YEAR)

(1) DENTAL HYGIENE AND ORAL PROPHLAXIS:

Combined courses at para 7 above (as mentioned in 1st year (primary) above)

(2) DENTAL HEALTH EDUCATION, COMMUNITY PUBLIC HEALTH DENTISTRY & PREVENTIVE DENTISTRY:

Lectures

Definition of Health and Dental Health

Aims and objectives of Dental Health Education.

Dental Health and Children.

Steps in preventive program, patient counselling.

Dental Health Education-Parents, mothers (anti and post-natal), infants pre-school Children and grownup Handicapped children.

Dental caries- Prevalence and Prevention.

Prevention by flouridation.

Periodontal Diseases.

Saliva in relation to dental health and disease.

Dietary habits and Dental Health.

Habits and Malocclusion.

Oral Cancer.

Brief outline of historical background of Public Health, History of dentistry and Public Health Services. Dental Health Team in relation to community health.

Technical knowledge of Topical Fluoride Application

Practical

Preparation of models of jaws and teeth-normal and pathological dental conditions.

Designing, drawing and painting of posters on dental health education.

Procedure for arranging short talks, skits and features on dental and oral health, visual aids.

Collection of Oral Health related statistics by conducting a small survey of an area. (3) DENTAL ETHICS, JURISPRUDENCE AND ORIENTATION IN DENTISTRY

Lectures & Practical

Difference between ethics and law, types of law.

Legal impositions in relation to dental practice, code of ethics.

Unlicensed practice of dentistry.

Regulatory and professional organisation.

Place and function of dental profession in the society and discussion of economic problems involved therein.

Social factors in Dental Progress, income and living standard of people.

Objective and scope of dentistry.

Dental specialities

(4) BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER

General office routine economics, record-keeping services, Professional referrals and computing skill;

(5) DENTAL MATERIALS

Lectures and Practical

3145 GI 08-4

General knowledge of various material used in Dentistry such as impression material, gypsum products, waxes, investing materials and various filling materials, Temporary and Permanent coments, orthodontic material and implant materials, materials used in maxillofacial and surgical prosthesis.

Recognition and knowledge of various dental equipment and stores used in dental establishment.

Organisation of dental stores, storage and accounting, handling and maintenance of dental items, assembly and minor repair of dental equipment.

[ADVT-III/IV/Exty./98/2008]

MAJ. (EN. (Retd.) P. N. AWA: THI, Secy.

भारतीय दंत परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

संख्या डीई-54-2007.- दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का XVIवां) के खंड 12 तथा खंड 20(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद निम्न दंत्य मैकेनिक पाठ्यक्रम विनियम 2008 बनाती है।

दंत्य मैकेनिक के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाए रखने के वास्ते विनियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

(i) लघ शीर्षक और प्रवर्तनः इन विनियमों को भारतीय दत्य परिषद दत्य मैकेनिक पाठ्यक्रम विनियम 2008 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे।

दंत्य मैकेनिक के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाए रखने के वास्ते विनियम

दंत्य मैकेनिक पाठ्यक्रम विनियम-

"दंत्य मैकेनिक" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जोकि कृत्रिम दंतावली तथा दंत्य उपकरण बनाता है और उनकी मरम्मत करता है। पंजीकृम दंत चिकित्सक के सर्तक रहने पर <u>वह अपने कियाक्लाप</u> विशुद्व रूप से यांत्रिक प्रयोगशाला तक सीमित रखेगा 1 वह कोई भी चेयर साईड काम नहीं करेगा 1

दंत्य मैकेनिक की अर्हता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को विनियमित और मानकीकृत करने के उद्देश्य से यह निर्धारित किया जाता है कि-

 दंत्य मैकेनिक डिप्लोमा किसी मान्यताप्राप्त दंत्य कालेज अथवा ऐसे दंत्य कालेज द्वारा शुरू किया जा सकता है जिसे अधिक से अधिक 20 सीटों सहित बीडीएस पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के बाद से केन्द्रीय सरकार से अनुमति मिली हो।

2. अध्ययन का पाठ्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों तक चलेगा और उसके पूरा करने पर दत्य मैकेनिक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

3. संस्थानों द्वारा दंत्य मैकेनिक के-लिए एक अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। वे संस्थान के भीतर दंत्य मैकेनिकों का एक अलग स्कूल/सेक्शन चलाएंगे।

4. पूरे भारतवर्ष में दत्य शिक्षा में इस पाठ्यक्रम में एकरूपता बनाए रखने के प्रयोजन से यह जरूरी है कि सभी संस्थानों में शिक्षण का पाठ्यक्रम मानकीकृत किया जाए। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए:

(i) अम्यर्थी को दाखिले के समय अथवा उसके तीन महीने के भीतर 17 वर्ष की आयु का होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए।

(ii) अम्पर्थी ने किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय अथवा प्री-यूनिवर्सिटी/इंटरमीडिएट बोर्ड से विज्ञान विषयों (अर्थात) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान सहित 10+ 2 अथवा दो वर्ष की इंटरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य परीक्षा पास कर रखी हो।

5. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और डिप्लोमा परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा विनियम और प्रत्येक विषय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यचर्या तैयार और संलग्न की गई है।

दंत्य मैकेनिक के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के वास्ते न्यूनतम अपेझाएं:

निम्न विषयों पर खर्च किए जाने वाले न्यूनतम घंटे नीचे बताए अनुसार होंगे:

पहला वर्ष

I.

1.

विषय	लेक्चर	प्रायोगिक/प्रयोगशाला/ निदर्शन	योग
अनुप्रयुक्त भौतिकशास्त्र और यांत्रिकी	30	20	. 50
अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	30	20	50
अनुप्रयुक्त मुखीय शरीररचनाविज्ञान	20	90	110
दंत्य सामग्रियां	20	40	60
तथा धातुविज्ञान	15	15	30
दंत्य मैकेनिक (प्राथमिक)	30	600	630
योग	145	-85	930

दूसरा वर्ष

दंत्य सामग्री और धातुविज्ञान	20	40	60].
दंत्य मैकेनिक (अंतिम)	30 -	85	815	1
कंप्यूटरों तथा चिकित्सीय रिकार्डो और प्रबंध का बुनियांदी ज्ञान	10	10	20	
योग	60	835	895	1

6.

7.

ऐक्रिलिक

भारत का राजपत्र : असाधारण

पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों में कक्षाएं एकांततः इस पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जानी चाहिए।

 किसी भी समय तकनीकी प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रत्येक 10 छात्रों के लिए कम से कम एक अनुदेशक होना चाहिए।
 दंत्य विषयों को पढ़ाने के लिए मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हताओं से युक्त व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक प्रयोगशाला/निदर्शनों के लिए मान्यताप्राप्त दंत्य मैकेनिक डिप्लोमाघारक व्यक्ति भी ट्यूटर के रूप में पात्र होंगे।

5. इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के पास मान्यताप्राप्त दंत्य कालेज के लिए अन्य मानदंडों के अलावा निम्न न्यूनतम अपेक्षाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिएः

> (i) कम से कम दो क्लासरूम अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों--दोनों के लिए एक-एक क्लासरूम जिसमें से एक क्लासरूम में एलसीडी प्रोजेक्टर तथा ओएचपी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए।

> (ii) प्रत्येक छात्र के लिए विशिष्ट/विषय-वार तकनीकी प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि अनुप्रयुक्त भौतिकशास्त्र तथा यांत्रिकी, रसायनशास्त्र, मुखीय शरीरर्रुनाविज्ञान, दंत्य सामग्री तथा अनुप्रयुक्त धातु-विज्ञान और दंत्य यांत्रिकी पर प्रायोगिक/निदर्शन आयोजित किए जा सकें।

> (iii)पाठ्यक्रम के विषयों पर हवाले के लिए छात्रों के वास्ते पाठ्यपुस्तकों सहित एक व्यावसायिक पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए।

> (iv)प्रोस्थेटिक तथा आर्थोडौंटिक कार्य, सिरैमिक भट्टी, संपीड्य भट्टी, अपकेन्द्री/प्रतिरोधी ढलाई मशीन, बर्नआउट भट्टी, सैंड ब्लास्टर, निक्षारण और अम्लमार्जनकारी उपकरण, आक्सीजन तथा एलपीजी के लिए ब्लोटार्च, इलेक्ट्रो पालिशिंग यूनिट, ऐक्रीलाइजर, उच्चगति वाली दंत्य खराद मशीन, प्रयोगशाला सूक्ष्म मोटर आदि से सुसज्जित प्रयोगशाला।

> (v) अध्यापन स्टाफः बीडीएस और एमडीएस स्टाफ की जरूरत के अलावा एकांतिक अध्यापन स्टाफ निम्नानुसार होगाः

(क) रीडर-एमडीएस (आर्थोडौंटिक्स) - एक

(ख) लेक्चरर - एमडीएस (पेरियोडौंटिक्स) - एक

(ग) ट्यूटर दंत्य यांत्रिकी

(घ), भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि पढ़ाने के लिए अन्य स्टाफ

अम्यर्थी निम्न पूर्व-नैदानिक कार्य करेगाः

(क) प्लास्टर ब्लाक, ऐडेन्ट्यूलस माउल, शेलाक तथा आटोपालीमिराइर्जिंग बेस प्लेटें, अंतर्रोधी रिम, दांतों का श्रेणी I का सेट-अप, वैक्स-अप तथा क्योरिंग तैयार करना।

(ख) माडल और ठप्पा तैयार करना।

(ग) निर्मित माडलों पर इन्ले/क्राउन तैयार करना।

(घ) आरपीडी माडल की नकल और वैक्स पैटर्न तैयार करना जिसके बाद ढलाई की जाएगी।

(ड.) आर्थोडौंटिक तार क्रियाएं (सीधा करना/वृत्त/त्रिकोण/वर्ग)

(च) आर्थोडौंटिक क्लास्प और उपकरण तैयार करना।

(छ) इम्प्लांट ऐनालाग पर एकल यूनिट क्राउन।

प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा उसके दो वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान किया जाने वाला न्यूनतम प्रायोगिक कार्य इस प्रकार है: (क) पूरी कृत्रिम दांतवली

.....20

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
धात्विक	05
(सामने वाले जबड़े में प्राकृतिक दांतों के लिए	कम से कम दो कृत्रिम दंतावलियां)
(ख) आंशिक कृत्रिम दंतावली	
ऐक्रिलिक	
धात्विक	05
(ग) कृत्रिम दतावली की मरम्मत/रीलाइनिंग	20
(घ) इन्ले	
अप्रत्यक्ष संयुक्त	05
धात्विक	19
सिरेमिक	05
(उ.) क्राउन	· · · · ·
े ऐक्रिलिक	05
पीएएम	05
धात्विक	05
संपीड्य सिरेमिक	05
जिरकोनिया/सीएडी-सीएएम	01 (कम से कम निदर्शन)
(च) ब्रिज कार्य (विभिन्न कोटियां)	•
अनंतिम	10
ः यूनिट [े] धातु	15 •
अ यूनिट भाफएम	15

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

3 यूनिट रेजिन बाउंडेड	03
(छ) स्पिलिट	
ऐक्रिलिक कैप स्पिलिंट	03
नाइट गार्ड (वैक्यूम फार्म्ड)	03
ब्लीचिंग ट्रे	<i>.</i> 02
(ज) आब्ट्यूरेटर्स तथा अन्य	•
मैक्सिलोफेशियल उपकरण	10 •
(झ) आर्थोडौंटिक स्टंडी कास्ट्स	06
(ञ) आर्थोडौंटिक उपकरण	12
(ट) इम्प्लांट प्रोस्थीसिज फैब्रीकेशन	
(यदि सुविधाएं उपलब्ध हों तो)	05
(ठ) लैमीनेट तथा विनीयर्स	05

टिप्पणीः उपयुक्त विभाग दंत्य मैकेनिक पाठ्यक्रम का शिक्षण करेगा।

दत्य विमागों तथा दत्य कालेज के दत्य अध्यापकों को पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दत्य मैकेनिक पाठ्यक्रम के शिक्षण का कार्य प्रोरथोडौंटिक्स विभाग को अथवा ऐसे संकाय को सौंपा जाएगा जिसमें उपर्युक्त स्टाफ उपलब्ध हो। 11. परीक्षाए

दंत्य मैकेनिक का डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए दंत्य मैकेनिक पाठयकम के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे तथा भारतीय 1. दंत्य परिषद द्वारा अनुमोदित तीन परीक्षकों के बोर्ड द्वारा, जिनमें से एक परीक्षक बाह्य (संस्थान के बाहर के) परीक्षक होंगे, एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

टिप्पणीः दत्य मैकेनिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अईताएं/पात्रता

परीक्षा बोर्ड के तीन परीक्षकों में से दो बाहरी और एक भीतरी सदस्य परीक्षक प्रोस्थोडौनटेक (एमडीएस) मे रीडर और 1. तीसरा परीक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाने से जुड़ा हुआ ट्यूटर (दंत्य यांत्रिकी) हो सकता है।

उसे किसी मान्यताप्राप्त दंत्य कालेज में प्रोत्स्थोडौंटिक्स विभाग में प्रोत्स्थोडौंटिक्स विशेषज्ञता में रीडर के स्तर का 2. सक्रिय अध्यापक होना चाहिए।

परीक्षाएं यथानिर्धारित तारीखों को आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में दो भाग होंगे (1) प्राथमिक तथा (2) अंतिम З. परीक्षा।

प्राथिमक परीक्षा (पहला वर्ष)

परीक्षा में ऐसा कोई भी छात्र भाग ले सकेगा जो;

परीक्षा से पूर्व एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान भारतीय दंत्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए (ক) अनुमोदित/मान्यताप्रदत्त किसी संस्थान में दाखिल रहा हो।

कम से कम दो क्लासरूम अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों--दोनों के लिए एक-एक क्लासरूम (ख) जिसमें से एक क्लासरूम में एलसीडी प्रोजेक्टर तथा ओएचपी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए।

जिसका नाम, उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा जिसमें वह दाखिल है, परीक्षकों के बोर्ड को मेजा गया (ग) हो।

(घ) जो संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगाः

> (i) उत्तम चरित्र

(ii) दिए गए लेक्चरों के पूरी श्रृंखला तथा परीक्षा के प्रत्येक विषय में आयोजित प्रयोगों/नैदानिक निदर्शनों में कम से कम 5% में उपस्थित रहा/रही हो।

प्रत्येक अम्यर्थी, परीक्षा निकाय द्वारा निर्घारित तारीख तक निर्धारित फीस सहित अपना आवेदन-पत्र उस निकाय को प्रस्तत करेगा। जो अम्यर्थी परीक्षा में पास होने अथवा उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, वह फीस की वापसी का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

प्रत्येक अम्पर्थी को निम्न विषयों में परीक्षा में बैठना होगा, प्रत्येक विषय में निम्नानुसार तीन प्रश्न-पत्र होंगेः 4. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अंक निम्नानुसार होंगेः

•		लिखित	मौखिक	प्रायोगिक	योग
प्रश्न-पत्र 🛛	अनुप्रयुक्त भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र	T 5	25	-	100
	तथा यांत्रिकी				•
प्रश्न-पत्र II	दत्य यांत्रिकी	-5	25	100	200
प्रश्न-पत्र III	अनुप्रयुक्त मुखीय शरीररचना विज्ञान	5	25	.100	200

प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा।

प्रत्येक अम्पर्थी के लिए परीक्षा के सभी विषयों में बैठना जरूरी है। इस परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में 5. फेल होने वाले किसी अभ्यर्थी को परवर्ती परीक्षा में पुनः बैठने के अनुमति दिए जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसने संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।

परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में पास होने वाले अभ्यर्थी को उस प्रश्न-पत्र में, जिसमें वह पास हो गया है, बैठने से छूट दी जाएगी तथा उसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी परवर्ती परीक्षा में बाकी यचे उन्हीं प्रश्न-पत्रों में पुनः बैठना होगा जिनमें वह फेल हो गया/गई है। दो वर्षों के बाद अभ्यर्थी को इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना होगा।

2

भाग III-खण्ड 4].

भारत का राजपत्र : अंसाधारण

6. पास होने के लिए अभ्यर्थी को (i) मौखिक सहित लिखित तथा (ii) परीक्षा के प्रायोगिक भागों—दोनों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

परीक्षा के अधीन किसी भी प्रशन-पत्र में कम से कम पिछत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा पहले ही प्रयास में सभी तीनों विषयों में पास होने वाले अभ्यर्थियों को उस/उन विशेष विषय/विषयों में डिस्टिंक्शन सहित पास घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले ही प्रयास में सभी प्रश्न-पत्रों में पास नहीं हो पाते और बाद में डिस्टिंक्शन अंकों के साथ पास होता है, उसे पास तो घोषित किया जाएगा किंतु डिस्टिक्शन के बिना घोषित किया जाएगा।

परीक्षकों का बोर्ड परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र, पास होने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित करेगा। प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को एक प्राथिमक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

अंतिम परीक्षा (दूसरा वर्ष)

इस परीक्षा में ऐसा कोई भी अम्यर्थी बैठने का पात्र होगा जो

(क) परीक्षा से पूर्व प्राथमिक शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय दत्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्थान में दाखिल रहा हो।

(ख) जिसने पूर्व में दंत्य मैकेनिक के डिप्लोमा के लिए प्राथमिक परीक्षा पास की हो।

(ग) जिसने उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा जिसमें वह दाखिल रहा/रही है अपना नाम परीक्षकों के बोर्ड को भिजवाया हो।

(घ) जो संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगाः

i. उत्तम चरित्र

ii. दिए गए लेक्चरों की पूरी श्रृंखला तथा परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में आयोजित प्रयोगों/निदर्शनों/निदानों में कम से कम पिछत्तर प्रतिशत में उपस्थित रहा/रही हो।

iii. सभी प्रश्न-पत्रों में प्राथमिक परीक्षा पास की हो।

 iv. प्राथमिक और अंतिम डिप्लोमा परीक्षा के बीच दो शैक्षणिक वर्षों से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

9. प्रत्येक अभ्यर्थी, परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित तारीख तक निर्धारित फीस सहित अपना आवेदन-पत्र उस निकाय को प्रस्तुत करेगा। जो अम्यर्थी परीक्षा में पास होने अथवा उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, वह फीस की वापसी का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

10. प्रत्येक अम्यर्थी को तीन श्न-पत्रों से युक्त निग्न विषयों में नीचे बताए अनुसार परीक्षा में बैठना होगाः

		लिखित	मौखिक	प्रायोगिक योग
प्रश्न-प त्र [दत्य यांत्रिकी (अंतिम)	`5	25	100 200
प्रश्न-पत्र []	दत्य सामग्री तथा धातु-विज्ञान	5	25	- 100
प्रश्न-पत्र []]	कंप्यूटर तथा चिकित्सीय रिकार्ड प्रबंध का	- 5	25	~ 100
	बुनियादी ज्ञान			

दत्य यांत्रिकी प्राथमिक परीक्षा में कवर किए गए विषयों की अंतिम परीक्षा में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना जरूरी है। इस परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में फेल होने वाले किसी अभ्यर्थी को परवर्ती परीक्षा में पुनः बैठने के अनुमति दिए जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसने संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यथानिर्घासित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में माग लिया है।

परीक्षा के किसी एक अथवा एकाधिक प्रश्न-पत्रों में पास होने वाले अम्यर्थी को उस प्रश्न-पत्र में, जिसमें वह पास हो गया है, बैठने से छूट दी जाएगी तथा उसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी परवर्ती परीक्षा में बाकी बचे उन्हीं प्रश्न-पत्रों में पुनः बैठना होगा जिनमें वह फेल हो गया/गई है। दो वर्षों के बाद अम्यर्थी को इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में बैठना होगा।

12. पास होने के लिए अम्पर्थी को (i) मौखिक सहित लिखित तथा (ii) परीक्षा के प्रायोगिक मार्गो--दोनों में से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के अधीन किसी भी प्रश्न-पत्र में कम पिछत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा पहले ही प्रयास में सभी तीनों विषयों में पास होने वाले अम्यर्थियों को उस/उन विशेष विषय/विषयों में डिस्टिंक्शन सहित पास घोषित किया जाएगा। जो अम्यर्थी पहले ही प्रयास में सभी प्रश्न-पत्रों में पास नहीं हो पाते और बाद में डिस्टिंक्शन अंकों के साथ पास होता है, उसे पास तो घोषित किया जाएगा किंतु डिस्टिंक्शन के बिना घोषित किया जाएगा।

13. पंजीकृत कराने के हेतू कालेज आधॉरिटी को परेकिटकल परीक्षा की तिथि के साथ अतिम परीक्षा के दोरान दो महीने पहले भारतीय दत परिषद मे आवेदन में आवेदन करना होगा

14. परीक्षकों का बोर्ड, परीक्षा के बाद जोकि भारतीय छत परिषद से पंजीकृत होना चाहिए, यथासंभव शीघ्र पास होने वाले अम्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित करेगा। प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को बाद मे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

III. दंत्य यांत्रिकी पाठ्यक्रम प्राथमिक (पहला वर्ष) की पाठ्यचर्या

अनुप्रयुक्त भौतिकशास्त्र

-1

विशिष्ट घनत्व, घनत्व, पदार्थ की संसक्ति सहित विशेषताएं, केशिकत्व, सतही तनन श्यानता, प्रत्यास्थता, प्रसार तथा परासरण।

जम्माः तापमान और उसके माप धर्मामीटर तथा पाइरोमीटर, ऊष्मा द्वारा ठोस पदार्थों, द्रवों तथा गैसों के विस्तार का सामान्य धर्णन, धर्मोस्टेट, दाब गैस तथा जलीय। बायल तथा चार्ल्स नियम। ऊष्मा, तापीय क्षमता तथा विशिष्ट ऊर्जा, अवस्था परिवर्तन की इकाई; गुप्त ऊष्मा; गलनांक, वाष्पों, चालन, संवहन तथा विकिरण की विशेषताएं।

17

दंत्य कार्यकक्ष में प्रयुक्त वैद्युत-प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, लघु मोटरें, निर्माणात्मक विशेषताएं और गुण, विद्युत भट्टियां, हीटर, धर्मोस्टेट्स, पाइरोमीटर्स, स्पाट वेल्डर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो-फौर्मिंग तथा ऐनोडाइजिंग, न्यून वोल्टता आपूर्ति से संबंधित वायरिंग विनियम।

अभ्यास/निदर्शन

तुला - एक मिलीग्राम तक सही वजन लेना

आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा विशिष्ट घनत्व (ठोस पदार्थ तथा द्रव) का निर्धारण

कोशिकीय उन्नयन द्वारा किसी द्रव के पृष्ठ-तनाव का निर्धारण

ठोस पदार्थों के रैखिक विस्तार (लेवल विधि) का निर्घारण

मिश्रण-विधि द्वारा ठोस पदार्थों और द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा का निर्घारण

लघु मोटरें - निर्माणात्मक विशेषताएं और गुण (केवल निदर्शन)

तांबे के विद्युत-रासायनिक तुल्यांक का निर्धारण

. अनुप्रयुक्त यांत्रिकी

बल, बलों के चतुर्भुज तथा त्रिमुज/गुरुत्व केन्द्र के आघूर्ण, युग्म, लीवर तथा कैंटीलीवर कार्य के सिद्धांत, ऊर्जा, विद्युत, घर्षण, आनत समतल, स्क्रू-प्रतिबल, तनन, अपरूपण विकृति, ऍठन, बंकन संचलन, पदार्थों की शक्ति और कठोरता अभ्यास/निदर्शन

बलों के चतुर्भुज तथा त्रिमुज नियमों का सत्यापन

यांत्रिक लाभ के आनत समतल का निर्धारण

शहतीरों को सोड़कर यंग के गुणांक का निर्धारण

अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र

भौतिक और रासायनिक बदलाव में अंतर तत्व, मिश्रण तथा आमिश्र; वायुमंडल की रचना; आक्सीजन आक्साइड, जलाना और जंग लगना; जल विलायक विशेषताएं तथा क्रिस्टलन; घातुओं पर जल की अभिक्रिया; जल हाइड्रोजन की रचना; रासायनिक मिश्रण के सिद्धांत; रासायनिक प्रतीकों की संयोजकता का अर्थ; सामान्य रासायनिक समीकरण; अम्ल, क्षारक तथा लवण।

विद्युत अपघटन, घोल का आयनिक सिद्धांत, वैद्युत विमव-श्रेणी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सामान्य धातुओं के प्रारंभिक अध्ययन सहित घातुओं और दुत्य कार्यकक्ष में प्रयुक्त उनके अयस्कों के विशेष संदर्भ में उनकी सामान्य विशेषताएं।

अल्कोहल, ईथर, ऐड्लीहाइड तथा कीटोन, वसा-अम्ल तथा उनके और अधिक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न, ऐमाइन। कार्बोहाइड्रेटों, वसाओं और प्रोटीनों का सामान्य उपचार, बेन्जीन तथा इसके होमोलोग। ऐरोमेटिक पदार्थों की सामान्य विशेषताएं। दंतचिकित्सा में प्रयुक्त संश्लिष्ट रेजिन तथा प्लास्टिक।

अम्यास/निदर्शनः

अम्लों तथा क्षार मूलकों के लिए परीक्षण।

- अम्ल क्षारक अनुमापन-अम्लों का क्षारकों के साथ निष्प्रभावन, N/10 H₂SO₄ के साथ N/10 NaOH का अनुमापन, जिसमें सूचक 24 के रूप में फिनोष्थेलीन अथवा मैथिल रेड

कार्बनिक नाइट्रोजनी पदार्थों, पाचन तथा आसवन में कुल नाइट्रोजन निर्घारण

- Mg के साथ प्रत्यक्ष आसवन द्वारा अकार्बनिक (अमोनियामय) घोलों (अथवा लवणों) का कुल नाइट्रोजन निर्धारण

अवक्षेपण द्वारा अकार्बनिक सामग्रियों में फास्फोरस का निर्धारण

- परक्लोरेट पद्धति द्वारा जलीय घोल में पोटेशियम का निर्धारण

विद्युत-अपघटनी निक्षेपण (धातुओं का विद्युत अपघटन तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग)

(क) कापर सल्फेट घोल के विद्युत अपघटन द्वारा तांबे का विक्षेपण

(ख) ईसीई की गणना

अनुप्रयुक्त मुखीय शरीररचना विज्ञान

- कृत्रिम दंतावली/बेयरिंग क्षेत्र का प्रारंभिक शरीररचना विज्ञान और रचना
- मानवीय दंतोदभेदन तथा अंतर्रेघ
- दांतों का कार्य तथा दांतों के क्राउनों की आकारिकी
- चवर्ण और आनन अभिव्यक्ति की मांसपेशियां
- चवर्ण निगलन तथा उच्चारण
- शंखाघोहनु संघि का संचलन
 - अभ्यास/निदर्शन

- वैक्स तथा प्लास्टर में दांत की कार्विंग (क्राउन तथा रूट, स्केल तथा संवर्द्धित माडल)

दंत्य यांत्रिकी (प्राथमिक)

5.

- छापों और माडलों के लिए संक्रमण नियंत्रण उपाय
- छाप-संरक्षण तथा बाक्सिंग-इन
- कास्ट-तैयार, आर्थोडौंटिक कास्टों सहित ट्रिमिंग

- कास्ट पुनरावृत्ति - विभिन्न विधियां

विशेष ट्रे - स्पेसर्स का निर्माण

बाइट ब्लाक - बेस प्लेट तथा वैक्स रिम

- उच्चारकः उच्चारकों का वर्गीकरण, दैनिक प्रयोग तथा देखभाल
- समायोजन, कास्ट चढाना

19

- उच्चारण, अंतरुद्ध प्लेन, बहि-सरणात्मक संतुलन, कार्यकारी बाइट्स संतुलनकारी बाइट, स्थान का वक्र, प्रतिपूरक वक्र, पार्श्व वक्र

दांतों के चयन के सिद्धांत

दांत जमाना और वैक्स भराई

फ्लास्किंग, डीवैक्सिंग, पैकिंग, क्योरिंग तथा डीफ्लास्किंग

कृत्रिम दंतावली की फिनिशिंग तथा पालिश

कुत्रिम दंतावलियों में संवर्द्धन, मरम्मत, रीलाइनिंग तथा रीवेजिंग

तत्काल कृत्रिम दंतावली निर्माण

ऐक्रिलिक दांत तैयार करना

आंशिक कृत्रिम दंतावलियों का केनेडी वर्गीकरण

- आंशिक दंतावली के सिद्धांत डिजाइन, क्लास्प सर्वेअर, सर्वेक्षण, अंतर्वेशन और उन्मूलन का मार्ग। क्लास्प सीट की स्थापना। क्लास्प के अंग, वर्गीकरण, कार्य तथा व्युत्क्रमण

तार को मोड़ने के सिद्धांत, पिटवां लोहे के क्लास्प तैयार करना, अंर्तरुद्ध रेस्ट वथा जिह्वा बार

दंत्य यांत्रिकी (अंतिम)

6.

7.

ढलाई मशीनेंः केन्द्रापसारी तथा दाब ढलाई मशीनें, भटि्टयां, ढलाई के लिए सिद्धांत

आंशिक कृत्रिम दंतावली (कंकाल) क्लैस्पों, बारों, अंतर्रोध रेस्ट के ढलाई तकनीक

धात कंकालों पर दांत जमाना और कृत्रिम दंतावली पूरी करना

आर्थोडौटिक उपकरणों, ऐन्कोरेज, बल, ऊतक बदलावों और प्रतिधारण के यांत्रिक सिद्धांत

स्टेनलैस स्टील का तार - आर्थोडाटिक उपकरणों के लिए क्लैस्पों, स्प्रिंगों तथा आर्क का निर्माण करना विभिन्न प्रकार के विस्तार स्क्रू का प्रयोग

डिजाइन करना - रोपण समर्थित - कृत्रिम अंग

यदि दंत्य रोपण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं

सिरैमिक, लैमीनेट्स तथा विनीयर्स

फेब्रीकेटिंग - आंख, नाक, कान, गाल, गवाक्ष और स्पिलिंट जैसे मैक्सिलोफेशियल कृष्त्रिम अंग

- अप्रत्यक्ष रोजन पुनरुद्धार तैयार के तकनीक

- पोर्सिलोन फायरिंग तकनीक

हटाए जा सकने योग्य आर्थोडौंटिक उपकरण, एक्टीवेटरों, प्रतिधारण उपकरणों तथा मुखीय स्क्रीन का निर्माण करना

स्थिर आर्थोडौटिक उपकरणों, बैठकों, ट्यूबों तथा आर्कों का निर्माण

सोल्डरिंग तथा तत्स्थानी वेल्डिंग - क्लैस्पों, टैगों स्ट्रेंगथनर्स तथा लिंगुवल बारों की सोल्डरिंग

इन्ले तथा क्राउन - वर्गीकरण तथा निर्माण फेसिंग तथा बैंकिंग

ढलाई क्रियाविधियां

ब्रिज कार्य के सिद्धांत - ऐब्यूटमेंट्स तथा कोटियां - ऐब्यूटमेंट तथा पौंटिक्स पोर्सिलेन तथा ऐक्रिलिक पौटिंक्स का प्रयोग करते हुए ब्रिजों का निर्माण करना

दंत्य सागग्री तथा धातु-विज्ञान

दंत्य सामग्री

निम्न सामग्रियों की रचना, विशेषताएं, प्रयोग लाम तथा हानियां

प्लास्टर आफ पेरिस, दत्य पत्थर, डाई पत्थर

निवेश सामग्री

सभी छाप सामग्री

ट्रे सामग्री

कृत्रिम दंतावली बेस सामग्री, ठंडी तथा गरम-दोनों प्रकार की क्योरिंग के लिए, दंत सामग्री वैक्सेज बेस प्लेटें

जिंक आक्साइड

दंत्य ल्यूटिंग सीमेंट

दंत्य सिरेमिक्स तथा अप्रत्यक्ष रेजिन पुनरुद्धार सामग्री

- दंत्य धातु-विज्ञान

- धातु वैज्ञानिक शब्दावली

- निम्न का सामान्य अध्ययन

(क) दंत चिकित्सा में प्रयुक्त धातुएं विशेष रूप से स्वर्ण, चांदी, तांबा, जिंक, टिन, सीसा तथा ऐल्यूमीनियम (ख) दंतचिकित्सा में प्रयुक्त अयस्क विशेष रूप से ढलाई वाला, स्वर्ण पिटवां चांदी अयस्क, स्टेनलैस स्टील, क्रोम कोबाल्ट अयस्क।

- जम्मा उपचार - अनीलन तथा टेंपरिंग

- सोल्डर, फलक्स, एंटीफ्लक्स

- टार्निश तथा कौरोजन

- वैद्युत निक्षेपण
- दंत्य रोपण सामग्री

[PART III-SEC. 4]

8. कंप्यूटरों का बुनियादी ज्ञान

- सामान्य कार्यालयी नेमी अर्थशास्त्र, रिकार्ड रखने की सेवाएं, व्यावसायिक रेफरल तथा संगणन कौशल
 - अधिकरण फार्मों का रखरखाव
 - क्लीनिकों से कार्य की प्राप्ति और प्रेषण
- IV. प्रायोगिक परीक्षाएं

प्रायोगिक परीक्षाओं में निम्न शामिल होंगे किंतु परीक्षाएं अनिवार्यतः उन्हीं तक सीमित नहीं होंगीः

- l प्राथमिक परीक्षा
 - i. माउल तैयार करना, माडलों की बीडिंग तथा बाक्सिंग
 - ii. श्रेणी I की आदर्श कृत्रिम दंतावली का सेट-अप तथा वैक्स-अप
 - iii. आरपीडी-माडलों और वैक्स के पैटर्न तैयार करने का सर्वेक्षण
 - iv. दंत्य सामग्री की खोज करना
 - v. प्रयोगशाला दंत्य सामग्री का हस्तकौशल
- अंतिम परीक्षा

i. तीन यूनिट एफपीडी

- माडल पोरिंग
- डाई-तैयार करना
- डिचिंग
- स्पेसर अनुप्रयोग
- वैक्स पैटर्न
- सभी धातु ब्रिजों की ढलाई एकल युनिट क्राउन (पहले से ढला हुआ) पर सिरेमिक अनुप्रयोग

ii.

विज्ञापन-III/IV/असाधारण/98/2008]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एन. अवस्थी, सचिव

DENTALCOUNCILOFINDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

No.DE-54-2007.- In exercise of powers conferred by section 12 and section 20 (1) of the Dentists Act, 1948 (XVI of 1948), the Dental Council of India after consultations with the State Governments and with the previous approval of the Central Government hereby make the following Dental Mechanics Course Regulations, 2008.

Regulations for the maintenance of minimum educational standard for Dental Mechanics, the same having been approved by the Central Government.

1. Short title and commencement.- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Dental Mechanics Course Regulations, 2008.

(ii). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

REGULATIONS FOR THE MAINTENANCE OF MINIMUM EDUCATIONAL STANDARD FOR DENTAL MECHANICS

Dental Mechanics Course Regulation:

1.

4.

"Dental Mechanic" means a person who makes or repairs denture and dental appliances. He shall restrict his activities to purely mechanical laboratory work at the instance of the Registered Dental Surgeon. He shall not do any chair side work.

In order to regularize and standardize the conferment of the qualifications for Dental Mechanics, it is prescribed that:-

The Dental Mechanics Diploma Course can be started by a recognized Dental College or a Dental College, which got the permission from the Central Government for 3rd year BDS Course onwards with maximum of 20 seats.

The course of studies should extend over a period of two academic years and lead to the qualification of Dental Mechanics Diploma.
 A separate course shall be arranged for the training of Dental Mechanics by the

A separate course shall be arranged for the training of Dental Mechanics by the institutions. These shall run under a separate School/Section of Dental Mechanics, within the Institution.

For the purpose of establishment of uniformity in dental education in this course throughout India it is necessary that the course of instructions to be pursued in all the institutions should be standardized. To achieve this:-

(i) a candidate should be at least 17 years of age at the time of admission or within 3 months of it and should be medically fit to pursue the course.

5.

I:

1.

2.

3.

4.

5.

(ii)

The candidate must have passed 10+2 or two years intermediate or equivalent course thereof with Science subjects (i.e.) Physics, Chemistry and Biology from a recognized Indian University or Pre-University/Intermediate Board.

The medium of instruction shall be in English and the course of studies and regulations for the Diploma Examinations and the syllabus to be followed in each subject has been drawn up and appended.

MINIMUM REQUIREMENTS FOR INSTITUTIONS IMPARTING TRAINING FOR DENTAL MECHANICS

The minimum hours devoted to the under mentioned subjects shall be as follows:-FIRST YEAR

Subject	Lectures	Practicals	Total
		Laboratory/	1
• •		Demonstrations	}
Applied Physics & Mechanics	30	20	50
Applied Chemistry	30	20	50
Applied Oral Anatomy	20	90	110
Dental Materials	20	40	60
and Metallurgy	15	15	30
Dental Mechanics (Primary)	30	600	630
<u> </u>			
Total	145	785	930
SECOND YEAR			
Dental Materials and Matallurgy	20	40	60
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L
Dental Mechanics (Final)	30	785	815

835 Total The classes in different subjects of the curriculum should be taught exclusively for this course.

10

60

10

20

895

Basic knowledge of computers and

Medical Records Management

There should be at least one instructor for every 10 students working in Technical Laboratories at any given time.

For the teaching of dental subjects, no person except those holding recognized dental qualification shall be employed as instructors. For Practicals Lab. / Demonstrations, persons holding recognised Dental Mechanics Diploma shall also be eligible as Tutor.

The institution imparting training in this course must possess the following minimum requirements, besides other criterion for recognized Dental College :-

- Alteast two class rooms i.e. one each for 1st & 2nd year students, atleast one of (i) which must be equipped with a LCD and OHP projector.
- Specific/subject wise Technical Laboratory facilities should be provided for (ii) each student so that practical/demonstrations on Applied Physics and Mechanics, Chemistry, Oral Anatomy, Dental Materials & Applied. Metallurgy and Dental Mechanics can be held.
- A Professional Library with text books should be available to the students for (iii) reference on the subjects of the course.
- Well equipped laboratories for Prosthetic and Orthodontic work. Ceramic (iv) furnace, pressable furnace, centrifugal/Resistance casting machine, burn out furnace, sand blaster, etching and pickling equipment, blowtorch for oxygen and LPG, Electro polishing unit, acryliser, high speed Dental lathe, lab micro motor etc.
 - Teaching Staff: In addition to the requirement of BDS & MDS Staff, exclusive teaching staff will be as under :

(a)	Reader - MDS (Prosthodontics)	 One
(b)	Lecturer - MDS (Prosthodontics)	 One
(c)	Tutor Dental Mechanic	 One
(d)	Other Staff for teaching	
	Physics, Chemistry etc.	 as required

3145 GI/08-C

(V)

c.4]

22	THE GAZETTE OF INDIA : E	XTRAORDINARY	·	[PART IIISEC.
		.1	······································	
6.	The Candidates shall do the following Pre-clinic	al work:-	5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	a. Preparation of plaster blocks, edentulo	us models, shella	c and auto	polymerizing
	base plates, occlusal rim s, Class-I ideal	teeth set-up, wax-	up and cur	ing.
	b. Model and die preparation			
	c. Preparation of inlay/ crown on prepared			
	d. RPD model duplication and wax pattern			ng.
	e. Orthodontic wire exercises (straightening		square)	4
	f. Fabrication of Orthodontic clasps and ap	opliances.		
	g. Single unit crown on Implant Analogue.			
7.	The minimum amount of practical work that ha	as to be completed	by each st	udent during
	his/her two years course:-		-	
	a. COMPLETE DENTURES			
	Acrylic	20		
•	Metallic			
	(At least 2 Dentures against natural teeth in the			
	b. PARTIAL DENTURES	Floore Plot.		
	Acrylic	15		
				. •
		05		
	c. REPAIRING/RELINING OF DENTURES	20		
	d. INLAYS:	05		€_
	Indirect Composite	05		
	Metallic	10		-
	Ceramic	05		
	e. CROWNS:			· · · ·
	Acrylic	05		
	PFM	05		-
	Metallic -	05		2
	Pressable ceramic	05		
	Zirconia/CAD-CAM	01(Atlea	st demonst	ration)
	f. BRIDGE WORK (VARIOUS TYPES)			
	Provisional		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	3 unit Metal			
	3 unit PFM			
	3 unit Resin Bonded			
	g. SPLINTS			•
	Acrylic Cap Splint	03		• •
		03		· .
	Night guard (Vacuum formed)			
	Bleaching trays	02		
	h. OBTURATORS and other	10		· .
	Maxillofacial appliances			•
	i. ORTHODONTIC STUDY CASTS	06	<u> </u>	
	j. ORTHODONTIC APPLIANCES	12		
	k. IMPLANT PROSTHESES FABRICATION	05		
	(if facilities available)			
	I. LAMINATES AND VENEERS			

In view of the difficulties experienced by dental departments and dental teachers of dental college, the teaching of Dental Mechanics Course be entrusted to the Department of Prosthodontics or to the faculty where above mentioned staff are available

II. EXAMINATIONS

1. An examination for the grant of Diploma of Dental Mechanics shall be conducted by a Board of three Examiners imparting training for qualification of Dental Mechanic Course approved by the Dental Council of India. One of the Examiners must be external (from outside the institution).

Note: Qualification/eligibility to appointment as Examiners for Dental Mechanic Examinations.

1. Out of 3 members of Examining Board, the external and one internal examiner should be a reader in Prosthodontics (MDS) and third examiner can be a tutor (Dental Mechanics) involved in practical teaching of the course.

[भाग III—खण्ड 4]

2

3.

5.

6.

7

8.

2. He/She should be an active teacher of the Prosthodontic specialty at the level of Reader in the department of Prosthodontics in a a recognised dental institution.

23

- 3. The examination shall be held on such dates as may be fixed. The examination shall consist of two parts; (1) Primary and (2) Final Examination.
- THE PRIMARY EXAMINATION (FIRST YEAR)
- The examination shall be opened to any students who
- (a) has been enrolled during one academic year preceding the examination in an institution approved/recognised by the Dental Council of India for this purpose.
- (b) The candidate must have passed 10+2 or two years intermediate or equivalent course thereof with Science subjects (i.e.) Physics, Chemistry and Biology from a recognized Indian University or Pre-University/Intermediate Board.
- (c) has his/her name submitted to the Board of examiners by the Head of the institution in which he/she is enrolled;
- (d) Produce the following Certificates signed by the Head of the institution.
 - (i) of good character;
 - (ii) of having attended not less than seventy five percent of the full course of lectures delivered and practicals demonstrations/clinicals conducted in each of the subject of examination.

Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed by that Body, accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall not be entitled to claim a refund of the fee

4. Every candidate shall be examined in the following subjects comprising of three papers as follows:-

Marks for each of the papers shall be as under:-

		Written	Oral	Practicals	Total
Paper I :	Applied Physics, Chemistry and Mechanics	75	25	•••••	100
Paper II :	Dental Mechanics	75	25	100	200
Paper III	Applied Oral Anatomy	75	25	100	200

Paper IIIApplied Oral Anatomy7525100200Each written paper shall be of three hours.

Every candidate shall be required to take up all subjects of the examination. A candidate failing in any paper or papers of this examination before being permitted to reappear at the subsequent examination, shall produce evidence of having pursued such a course of training as the Head of the institution may determine.

A candidate, who passes in any one or more papers of the examination shall be exempted from appearing in that paper which he/she has passed and shall be allowed to re-appear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. Thereafter the candidate will have to appear in all the papers of this examination.

- The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty percent in each paper both in the (i) written with oral and (ii) practical parts of the examination. Candidates who obtain minimum of seventy five percent marks in any paper under examination and passes in all three subjects in first attempt shall be declared to have passed with distinction in a particular subject/s. Candidates who do not pass in all the papers in the first attempt and later obtains the distinction marks shall be declared as passed but without distinction.
- As soon as possible after the examination, the Board of Examiners shall publish a list of the candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a PRIMARY DIPLOMA.

THE FINAL EXAMINATION (SECOND YEAR)

This examination shall be open to any student who-

- a) has been enrolled for Primary academic year (first year) preceding the final examination in an Institution approved by the Dental Council of India for the purpose.
- b) has previously passed the Primary Examination for the Diploma of Dental Mechanics.
- c) has his/her name submitted to the Board of Examiners by the Head of the Institution in which he/she is enrolled.

produces the following certificates signed by the Head of the Institution:-

- i) of good character,
- ii) of having attended not less than seventy five percent of the full course of lectures delivered and practical/demonstration/ clinical conducted in each of the subjects of the examination.
- iii) of having passed the Primary Examination in all papers.
- iv) there shall not be a gap of more than two academic years between Primary and Final Diploma Exams.
- Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed by that Body, accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall not be entitled to claim a refund of the fee.
- 10. Every candidate shall be examined in the following subjects comprising of three papers as follows:-

Marks for each of the papers shall be as under:-

Paper I.	Dental Mechanics (Final)	Written 75	Oral 25	Practical 100	Total 200
Paper II.	Dental Materials & Metallurgy	.75	25		100
Paper III	Basic knowledge of Computer & Medical Records Management	75	25		100

Topics covered under Dental Mechanics Primary Examination should not be repeated in the final examination.

Each written paper shall be of three hours.

- Each candidate shall be required to take up all papers of the examination. A candidate failing in any paper or papers of the examination before being permitted to re-appear at the subsequent examination, shall produce evidence of having pursued such a course of training as the Head of the institution may determine.
 - A candidate, who passes in any one or more papers under examination shall be exempted from appearing in which he/she has passed and shall be allowed to reappear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. Thereafter the candidate will have to appear in all the papers of this examination.
 - The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty percent in each paper both in the (i) written with oral and (ii) practical parts of the examination. Candidates who obtain minimum of seventy five percent of the marks in any paper under examination shall be declared to have passed with distinction in that particular subject provided he/she passes all subjects of examination in first attempt. Candidate who do not pass in all the papers of the FINAL EXAMINATION at one and the same time shall not be declared to have passed with distinction.
- 13. The college authority will apply two months in advance along with practical examination date sheet to the DCI for recognition of the Diploma Course.
- 14. As soon as possible after the examination, the Board of Examiners shall publish a list of those candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a Diploma subject to the approval by DCI..

SYLLABUS FOR THE DENTAL MECHANICS COURSE PRIMARY (1ST YEAR)

I APPLIED PHYSICS:

III.

Specific gravity, density, properties of matter, including cohesion, capillarity, surface tension viscosity, elasticity, diffusion and osmosis.

Heat: Temperature and its measurements Thermometers and Pyrometers. General account of expansion by heat of solids, liquids and gases, Thermostats, Pressure gas and hydraulic. Boyle's and Charles Laws. Unit of heat, thermal capacity and specific Heat, Change of State; Latent heat; Melting Point. Properties of vapours, conduction, convection and radiation.

d)

9.

11

12.

[भाग III—खण्ड 4]

]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Principles of electro-technology applied to dental work room, small motors, constructional features and characteristics, electric furnaces, heaters, thermostats, pyrometers, spot welders, electroplating, electro-forming, and anodizing, Wiring regulations relating to low voltage supplies. Exercises/Demonstrations:

- Balance weighing correct to a milligram.
- Determination of specific gravity by the principle of Archimedes (Solids and liquids).
 - Determination of surface tension of a liquid by capillary rise.
- Determination of Linear expansion of solids (level method).
- Determination of the specific heats of solids and liquids by the method of mixtures.
- Small motors-constructional features and characteristics (Demonstration only)
- Determination of the electro-chemical equivalent of copper.

2. <u>Applied Mechanics:</u>

Forces, Parallelogram and triangle of forces. Moments, Couples, Centre of gravity, Principles of lever and cantilever work, Energy, Power, Friction, Inclined plane, Screw Stress, Strain, Sheating Strain, Torsion, Bending movements, Strength and stiffness of materials.

Exercises/Demonstrations:

- Verification of the parallelogram and triangle laws of forces.
- Inclined plane Determination of mechanical advantage.
- Determination of Young's Modulus by bending of beams.

3. Applied Chemistry:

Distinction between physical and chemical change; elements, mixtures, and compounds; composition of the atmosphere; Oxygen oxides, burning and rusting; water solvent properties and crystallization; action of water on metals; composition of water hydrogen; Laws of chemical combination; meaning of chemical symbols valency; simple chemical equations; acids, bases and salts.

Electrolysis, The ionic theory of solution. The electropotential series, electroplating, General characteristics of the metals including an elementary study of the common metals and their alloys with special reference to those used in the dental work room.

Alcohol, ethers, adlehydes and ketones, fatty acids and their more important derivatives, amines. Simple treatment of carbohydrates, fats and protetins, Benzens and its homologues. General characteristics of aromatic substances. Synthetic resins and plastics used in Dentistry.

Exercises/Demonstrations:

- Tests for Acids and alkalis radicals.
- Acid-base titration Neutralisation of acids with alkalies. Titration of N/10 NaOH with N/10 H₂SO₄ Phenophthalin or Methyl red as indicator 2^4
 - Total Nitrogen determination in organic nitrogenous materials, digestion and distillation.
 - Total Nitrogen determination in In-organic (ammoniacal) solutions (or salts) by direct distillation with Mg.
 - Determination of Phosphorus in in-organic materials by precipitation.
- Determination of Potassium in aqueous solution by perchlorate method.
 - Electrolytic deposition (electrolysis and electroplating of metals).
 - (c) Deposition of Copper by electrolysis of copper Sulphate solution.
 - (d) Calculation of E.C.E.

4. APPLIED ORAL ANATOMY:

- Elementary anatomy and structure of denture/bearing area.
- Human dentition and occlusion.
- Functions of teeth and morphology of Crowns of teeth.
- Muscles of mastication and facial expression.
- Mastication deglutition and phonation.
- Movements of tempera-mandibular joint.
- Exercise/Demonstrations
- Tooth Carving in wax and plaster. (Crown and root, scale and enlarged models)

5. DENTAL MECHANICS (PRIMARY):

- Infection control measures for impressions and models
- Impression Preservation and Boxing-in.
- Cast: Preparation, Trimming, including Orthodontic casts.
 - Cast duplication various methods.
 - Construction of special trays spacers

3145 GI 08-7

Bite blocks- base plates and wax rims.

Articulators: Classification, daily uses, and care of articulators.

Adjustments, Mounting of casts.

Articulation, Occlusal plane, protrusive balance, working bite, balancing bite, curve of space, compensating curve, lateral curve.

Principles of selection of teeth.

Setting of teeth and wax finishing.

Flasking, Dewaxing, Packing, curing and Deflasking.

Finishing and polishing of dentures.

Additions, repairs, relining and revasing of dentures.

Immediate denture construction.

Making of acrylic teeth.

Kennedy's classification of partial dentures.

Principles of partial denture, design, clasp surveyor, surveying, path of insertion and removal. Establishment of clasp seat. Clasp's parts, classification, function and receptocation.

Principles of wire bending, Preparation of wrought clasps, occlusal rests and lingual bars.

1. <u>Dental Mechanics (Final):</u>

Casting machines: Centrifugal and pressure casting machines, Furnaces, Principles of casting.

Casting techniques of partial denture (Skeletal) Clasps, bars, occlusion rest. Setting of teeth and completion of dentures on metal skeletons.

Mechanical principles of Orthodontic appliances, anchorage, force, tissue changes and retention.

Stainless steel wire-preparation of clasps, springs and Arch wires for Orthodontic appliances.

Use of various types of expansion screws.

Designing - Implant supported Prosthesis (if facilities available for Dental Implants

Ceramic, laminates and Veneers.

Fabricating—Maxillofacial prosthesis such as eye, nose ear, cheek, obturator and splint

-Indirect Resin Restoration preparation techniques.

-Porcelain firing techniques

Preparation of removable Orthodontic appliances, Activators, Retention appliances and Oral screen.

Construction of fixed Orthodontic appliances, bands, tubes and arches.

Soldering and spot welding-Soldering of clasps, tags, Strengtheners and lingual bars.

Inlays and Crowns-classification and construction facing & backings.

Casting Procedures.

Principles of bridge work-types of abutments – abutments and ponticsconstruction of bridges using porcelain and acrylic pontics.

DENTAL MATERIALS AND METALLURGY

Dental Materials:

2.

Composition, Properties, Uses, Advantages & Disadvantages of the following materials:-Plaster of Paris; Dental Stone, Die Stone

Investment Materials,

All Impression Materials,

Tray Materials,

Denture Base Materials, both for cold curing and heat curing, Tooth Materials Waxes, Base Plates,

Zinc Oxide,

Dental Luting Cements

Dental Ceramics and indirect resin restoration materials.

Dental Metallurgy:

- Metallurgical Terms,

- General

- Study of:

[भाग	III -	-ਯੁਧਤ	4]
-------	--------------	-------	----

ĩ

II

i

iì

- (a) Metals used in Dentistry particularly Gold, Silver, Copper, Zinc, Tin, Lead and Aluminium.
- (b) Alloys used in Dentistry particularly, Casting Gold Wrought Gold Silver Alloys, Stainless Steel, Chrome Cobalt Alloys.
- Heat treatment-annealing and tempering.
- Solders, Fluxes, Anti Fluxes.
- Tarnish and Corrosion.
- Electric Deposition.
- Dental implant materials

3. BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS

- General office routine economics, record-keeping services, Professional referrals and computing skill;
- Record keeping of materials indented and Audit of use.

Receipt and dispatch of work from clinicians

IV. PRACTICAL EXAMINATIONS

The practical examination shall include, but not necessarily limited to the following Primary examination

- i Model preparation, beading, boxing of models
- ii Class I ideal denture setup and waxup
- iii RPD surveying of models and wax pattern preparation
- iv Spotting of dental materials
- v Manipulation of lab dental materials
- Final examination
 - Three units FPD
 - Model poring
 - Die-preparation
 - Ditching
 - Spacer application
 - Wax pattern
 - Casting of all metal bridge
 - Ceramic application on single unit crown (Casted before)

[ADVT-III/IV/Exty./98/2008]

MAJ. GEN. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.